न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 794 सन 2019

अनवान :–

1. कृष्णा पत्नि भादरराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भवरसिह उर्फ भवरलाल पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सिनगारी पत्नी रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. लालचन्द पुत्र रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रूकमणी पुत्री रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नरसाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महीपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीराम पुत्र पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 522/517 के खसरा न0 2/8.6120हैक में से सयुक्त तौर 224–3/4 हिस्सा भूमि पुरा वल्द जीवण के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी संख्या 2 के पिता वादी संख्या 1 व 3 का ससुर तथा वादी संख्या 4 ,5 का दादा पुरा वल्द जीवण का देहान्त दिनांक 06.02.2001 को हो चुका है पुरा के दो लडके वादी संख्या 1 के पति व वादी सख्या 3 ता 5 के पति/पिता भी फोत हो चुके है पूराराम के लडके भादरराम की अपने पिता के जीवनकाल में ही मृत्यू हो गई थी पुराराम का लडका इन्द्राज भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 है दुसरे लडके रामेश्वर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वाद 3 ता 5 है इसपप्रकार पुरा वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर उसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है

वादी के दादा पुराराम वल्द जीवनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 19.01.2001 को एक वसीयत पंजीबद्व करवाई गई थी पुराराम का देहान्त हो गया है पुराराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने के बाद पुराराम पुत्र. जीवनराक की वसीयत दिनांक 19.01.2001 के अनुसार वाद भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं भवरसिह एवं भवरलाल एक ही व्यक्ति है इसलिये भवरसिह उर्फ भवरलाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

Scanned with CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पुराराम पुत्र जीवनराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादभूमि पुराराम पुत्र जीवनराम के नाम से दर्ज है पुराराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करवाई गई थी पुराराम का देहान्त हो चुका है पुराराम पुत्र जीवनराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 522/517 के खसरा न0 2/8.6120हैक में से सयुक्त तौर 224–3/4 हिस्सा भूमि पुरा वल्द जीवण के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी संख्या 2 के पिता वादी संख्या 1 व 3 का ससुर तथा वादी संख्या 4 ,5 का दादा पुरा वल्द जीवण का देहान्त दिनांक 06.02.2001 को हो चुका है पुरा के दो लडके वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 3 ता 5 के पति/पिता भी फोत हो चुके है पूराराम के लडके भादरराम की अपने पिता के जीवनकाल में ही मृत्यू हो गई थी पुराराम का लडका इन्द्राज भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 है दुसरे लडके रामेश्वर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वाद 3 ता 5 है इसपप्रकार पुरा वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर उसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है

वादी के दादा पुराराम वल्द जीवनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 19.01.2001 को एक वसीयत पंजीबद्व करवाई गई थी पुराराम का देहान्त हो गया है पुराराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने के बाद पुराराम पुत्र जीवनराक की वसीयत दिनांक 19.01.2001 के अनुसार वाद भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं भवरसिह एवं भवरलाल एक ही व्यक्ति है इसलिये भवरसिह उर्फ भवरलाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 522/517 के खसरा न0 2/8.6120हैक में से सयुक्त तौर 224–3/4 हिस्सा भूमि पुरा वल्द जीवण के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है पुराराम पुत्र जीवनराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करवाई गई थी पुराराम पुत्र जीवनराम का देहान्त हो गया है पुराराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के दादा पुराराम वल्द जीवनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 19.01.2001 को एक वसीयत पंजीबद्व करवाई गई थी पुराराम का देहान्त हो गया है पुराराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने के बाद पुराराम पुत्र. जीवनराम की वसीयत दिनांक 19.01.2001 के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 19.01.2001 एवं मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार पुराराम पुत्र जीवनराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत करवाई गई थी एवं पुराराम पुत्र जीवनराम का देहान्त हो चुका है पुराराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बध में भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 522/517 की कुल 11.3690हैक भूमि में सयुक्त तौर से 224–3/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 97/97 की कुल 3.3640हैक भूमि में सयुक्त तौर से 66–2/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 75/75 की कुल 5.7110हैक में से 577/11422हैक भूमि पुराराम पुत्र जीवनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी न. 1 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 ता 5 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्णा पत्नि भादरराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी डाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भवरसिह उर्फ भवरलाल पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सिनगारी पत्नी रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाव तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. लालचन्द पुत्र रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रूकमणी पुत्री रामेश्वर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नरसाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महीपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीराम पुत्र पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 794 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 522/517 की कुल 11.3690हैक भूमि में सयुक्त तौर से 224–3/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 97/97 की कुल 3.3640हैक भूमि में सयुक्त तौर से 66–2/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 75/75 की कुल 5.7110हैक में से 577/11422हैक भूमि पुराराम पुत्र जीवनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी न. 1 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 ता 5 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner